रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 1993/श्रावण 15, 1915
No. 262] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1993/SRAVANA 15, 1915

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली; 6 अगस्त, 1993

सा.का.नि. 533 (अ). —कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 915 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1992 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 दिसम्बर, 1992 में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 26-2-93 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, कीटनाशी नियम 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,

(I) विद्यमान खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ग) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ग) "अवसान की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जो किसी आधान लेबल या आवरक पर "अवसान की तारीख" वाले स्तम्भ के सामने उल्लिखित है;

(II) इस प्रकार अन्तःस्थापित खण्ड (ग) के पश्चात् खण्ड (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

(घ) "प्ररूप" से, पहली अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है,

(ङ) "प्रयोगशाला" से केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(III) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

(ज) "नाशकजीव" से कोई कीट, कृंतक, कवक, घास-पात और अन्य प्रकार की ऐसी वनस्पति या जन्तु अभिप्रेत है; जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है;

(IV) इस प्रकार रखे गये खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा अर्थात् ;

(झ) "प्राथमिक पैकेज" से वह निकटस्थ पैकेज अभिप्रेत है जिसमें कीटनाशी है—

(ञ) "प्रधान" से कीटनाशी का यथा स्थिति, आयातकर्ता या विनिर्माता अभिप्रेत है;

(ट) "रजिस्ट्रीकरण" के अन्तर्गत अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण भी है;

(ठ) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी नगर निगम या नगरपालिका समिति या किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी की सीमाओं के बाहर आता है;

(ड) "अनुसूची" से ऐसी अनुसूची अभिप्रेत है जो इन नियमों से उपाबद्ध है;

(ढ) "दूसरा पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जो न तो प्राथमिक पैकेज है और न ही परिवहन पैकेज है;

(ण) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(त) "परीक्षण सुविधा" से ऐसी संक्रिया एकक अभिप्रेत है जहां ऐसे कीटनाशी को जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, उत्पाद क्वालिटी या सुरक्षा पर या प्रभावकारिता पर या उसके भंडारण में अवशिष्ट पर या उसकी स्थिरता पर आंकड़े प्रस्तुत करने के संबंध में प्रयोगात्मक अध्ययन किए जा रहे हैं या किए गए हैं ;

(थ) "परिवहन पैकेज" से कीटनाशी के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बाह्यतम पैकेज अभिप्रेत है ।

3. उक्त नियमों के नियम "6" में,

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(1) (क) अधिनियम के अधीन कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रारूप 1 में किया जाएगा और उक्त प्ररूप जिसके अन्तर्गत सत्यापन वाला अंश भी है, किसी व्यक्ति की दशा में स्वयं व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; भागीदारी फर्म की दशा में प्रबंध भागीदार द्वारा; कम्पनी की दशा में उस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, और किसी अन्य दशा में, कारबार के संचालन के भारसाधक या उसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यथास्थिति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्यों या भागीदारों अथवा बोर्ड के निदेशकों या भारसाधक व्यक्ति में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति, और अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी ।

(ख) रजिस्ट्रीकरण समिति यदि आवश्यक हो, आकड़ों की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए "परीक्षण सुविधा" का निरीक्षण करने का निदेश दे सकेगी;

(2) उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे; अर्थात् :—

"(3) सदेय रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण, सगरोध और संचयन निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद पर पर देय (मागदेय) ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र यथास्थिति प्ररूप 2 या प्ररूप 2-क में होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की गई हैं।"

4 उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

6क. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना—यदि रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र की मूल प्रति विरूपित, क्षतिग्रस्त या गुम हो गई है, तो दूसरी प्रति के लिए पांच रुपये की फीस का संदाय किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 7 में :—

(i) उपनियम (1) में "लिखित रूप में" शब्दों के पश्चात् "प्रारूप 2-ख में दो प्रतियों में" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(4) अपील करने के लिए सदेय फीस का संदाय लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण, सगरोध और संचयन निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद पर संदेय मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 9 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(4) अनुज्ञापन अधिकारी, आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा ।

(4क) कीटनाशी का विनिर्माण करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आवश्यक संयंत्र और मशीनरी, सुरक्षा युक्तियां और प्राथमिक उपचार सुविधाएं आदि उस परिसर में विद्यमान है जहां कि कीटनाशी का विनिर्माण किया जाना प्रस्थापित है ।

7. उक्त नियमों के नियम 10 में—

(1) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए उप नियम (1) के अधीन संदेय फीस ऐसे प्रत्येक कीटनाशी के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, अधिकतम तीन सौ रुपए के अधीन रहते हुए बीस रुपए होगी । यदि किसी कीटनाशी को एक से अधिक स्थानों पर विक्रय करने, स्टाक करने या प्रदर्शित करने की प्रस्थापना है तो प्रत्येक स्थान के लिए पृथक फीस होगी;

परन्तु घरेलू प्रयोजनों के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले और उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कीटनाशी की बाबत प्रत्येक स्थान के लिए अधिकतम फीस दस रुपए होगी ।

परन्तु यह और कि यदि विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है तो फीस इस उपनियम में विनिर्दिष्ट फीस का पांचवां भाग होगी ।

(ii) उपनियम (2) में "ऐसा स्थान" शब्दों के पश्चात "और प्रत्येक कीटनाशी के लिए" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(iii) उपनियम (4) में खंड (iii) और खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(iii) जहां अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान किसी अतिरिक्त कीटनाशी का विक्रय, स्टाक अथवा विक्रय या वितरण के लिए प्रदर्शन करना चाहता है वहां वह उपनियम (2) में विहित फीस का संदाय करके अनुज्ञप्ति पर आवश्यक पृष्ठांकन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(4) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(4क) (1) संक्रियाएं करने या कीटनाशियों के विक्रय, स्टाक अथवा विक्रय या वितरण के लिये प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के अपने आवेदन के साथ प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रधान से एक प्रमाण-पत्र फाइल करेगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने की इच्छा करता है ।

(2) प्रधान द्वारा जारी किया गया, प्रमाणपत्र सम्बद्ध क्षेत्र के अनुज्ञापन अधिकारी को संबोधित किया जायेगा और उसमें प्रधान की पूर्ण विशिष्टियां समाविष्ट होंगी जिसके अन्तर्गत उनका रजिस्ट्रीकरण और विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या, प्राधिकृत किये जाने के लिये प्रस्थापित व्यक्ति का पूरा नाम और पता और ऐसे विनिर्दिष्टियों के टाइप भी है, जिनका प्रयोग वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाओं में किया जायेगा और जिनका विक्रय, स्टाक अथवा विक्रय या वितरण के लिये प्रदर्शन किया जायेगा ।

(3) प्रमाणपत्र की मौलिकता या अन्यथा सत्यापित करने के लिये प्रधान उस राज्य के अनुज्ञापन अधिकारी को जहां वह अपने उत्पादों के विक्रय करने का आशय रखता है, प्रधान का प्रमाणपत्र जारी करने के लिये विहित रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों के नमूने हस्ताक्षर या नमूने हस्ताक्षरों की पर्याप्त संख्या में प्रतियां भेजेगा ।

(4) प्रमाण के निलंबन, प्रतिसंहरण या रद्दकरण की दशा में, प्रधान उसकी सूचना अधिकारिता प्राप्त अनुज्ञापन अधिकारी को तुरन्त देगा ।"

(5) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा अर्थात् :—

"(5) अनुज्ञापन अधिकारी आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति मंजूर करने से करने से इंकार कर सकेगा ।"

8. उक्त नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

10क. अधिक्रान्त तारीख नाशक जीवनाशियों का पृथक्करण और व्ययन :

(क) अतिक्रान्त तारीख के तुरन्त पश्चात् ऐसे सभी स्टाकों को पृथक करने और उन पर यथास्थिति, "विक्रय के लिये नहीं" या "प्रयोग के लिये नहीं" या "विनिर्माण के लिये नहीं" का स्टाम्प लगाकर अनुज्ञप्ति-धारी द्वारा उन्हें ऐसे पृथक स्थान पर रखा जायेगा जो इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से अभ्यांकित किया गया हो और उस स्थान के सहज दृश्य भाग पर अधिक्रान्त तारीख कीटनाशी को एक घोषणा प्रदर्शित की जायेगी ।

(ख) ऐसी सभी स्टाकों का तत्पश्चात् ऐसी रीति से व्ययन किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय कीट-नाशी बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ।

10ख. सल्फर की बाबत विशेष उपबंध—

कीटनाशी सल्फर और उसकी विनिर्मितियों की बाबत सभी अनुज्ञप्तिधारी—

(क) उपहो चोरी रोकने के लिये समस्त पूर्वा-वधानियां बरतेंगे :

(ख) ऐसी किसी चोरी की रिपोर्ट तुरन्त निकटतम पुलिस अधिकारियों को करें; और

(ग) ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम और पते जिन्हें कीटनाशी का विक्रय या वितरण किया गया है और विक्रीत या वितरित मात्रा को दर्शित करने वाला एक पृथक रजिस्टर रखेंगे।

10ग. कुछ स्थानों में कीटनाशियों के विक्रय या भंडारण करने के विरुद्ध प्रतिषेध कोई भी व्यक्ति, ऐसे भवन में जहां मनुष्यों या जीव जन्तुओं द्वारा उपभोज्य किसी पदार्थ का विनिर्माण भंडारण या विक्रय के लिये प्रदर्शन किया जाता है, किसी कीटनाशी का विनिर्माण, भंडारण या विक्रय के लिये प्रदर्शन नहीं करेगा अथवा विक्रय या भंडारण की अनुज्ञा नहीं देगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियम की कोई बात ऐसे भवन में खरेलू कीटनाशियों के फुटकर विक्रय को लागू नहीं होगी जहां से मनुष्यों या जीव जन्तुओं द्वारा उपभोज्य अन्य पदार्थों का प्रायः विक्रय किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि ऐसे खरेलू कीटनाशी उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं और इन नियमों के अनुसार उन्हें पैक करके उन पर लेबल लगाया गया हो।"

9. उक्त नियमों के नियम 11 में :—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) इस अध्याय के अधीन जारी या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति जब तक कि वह पहले ही निलम्बित या रद्द न कर दी जाये, दो कलैण्डर वर्षों के लिये प्रवृत्त रहेगी;

परन्तु धारा 9 की उपधारा (3ख) के अधीन मंजूर किये गये अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के आधार पर जारी की गई कीटनाशी विनिर्मित करने की अनुज्ञप्ति यदि कोई हो अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख को अवसित होगी :

परन्तु यह और कि नियम 9 के उपनियम (3) के खंड (iii) के अधीन या नियम 10 के उपनियम (4) के खंड (3) के अधीन या नियम 10क के उपनियम (3) के अधीन मुख्य अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति मुख्य के साथ ही अवसित हो जायेगी या नवीकरणीय होगी।

(ख) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन उसके अवसान के पूर्व किया जायेगा और यदि ऐसा आवेदन अवसान की तारीख के पश्चात किन्तु ऐसी तारीख के तीन मास के भीतर किया जाता है, तो नवीकरण के लिये आवेदन के साथ निम्नलिखित विलम्ब फीस संदत्त की जायेगी; अर्थात् :—

(i) कीटनाशियों का विनिर्माण करने या नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाएं करने के लिये अनुज्ञप्ति की दशा में पहले मास या उसके भाग के लिये पचास रुपये, दूसरे मास या उसके भाग के लिये सौ रुपये और तीसरे मास या उसके भाग के लिये एक सौ रुपये;

(ii) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में पहले मास या उसके भाग के लिये दस रुपये, दूसरे मास या उसके भाग के लिये बीस रुपये और तीसरे मास या उसके उसके भाग के लिये तीस रुपये ;

परन्तु जहां मुख्य नाशकजीव नियंत्रण संक्रिया एकक या विक्रय स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है वहां विलम्ब फीस उक्त विलम्ब फीस का पांचवां भाग होगी;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या निःशक्तता की दशा में, अनुज्ञप्ति अधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदक को विलम्ब फीस संदाय से छूट प्रदान कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—(1) जहां नवीकरण के लिये आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान के पूर्व किया जाता है और इंकार या नवीकरण का आदेश अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात किया जाता है वहां यह समझा जायेगा कि आवेदक उस पर अन्तिम आदेश की संसूचना की तारीख तक अवसित अनुज्ञप्ति के अनुसार कारबार चला रहा है।

(2) जहां नवीकरण के लिये आवेदन विलम्ब फीस के साथ अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् किया जाता है वहां यह समझा जाएगा कि आवेदक उस आवेदन पर (अवसान की तारीख से) अन्तिम आदेश की संसूचना की तारीख तक अवसित-अनुज्ञप्ति के अनुसार कारबार चला रहा है :

(ii) खंड (ग) में, "और यदि नवीकरण के लिये आवेदन उसके अवसान के पश्चात् एक मास के भीतर न दिया जाये तो वह अवसित हुई समझी जायेगी" शब्दों का लोप किया जायेगा ;

(iii) खंड (घ) में "और ऐसे इंकार पर ऐसे नवीकरण के लिये संदत्त फीस और शास्ति, यदि कोई है, आवेदक को वापस कर दी जायेगी" शब्दों के स्थान पर "लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से" शब्द रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 13 में "अनुज्ञप्ति में फेरफार या संशोधन" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि रजिस्ट्रीकरण समिति ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का संशोधन कर दिया है, और"

11. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा,

अर्थात् :—

"14 अनुज्ञप्ति का अन्तरण :—एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति का अन्तरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। दूसरा व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नया आवेदन करेगा।"

12 उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

15. केश मेमो जारी करना और अभिलेख बनाए रखना

(1) कीटनाशियों का सभी विक्रय बिल या कैश मेमो से विधि के विहित प्ररूप में किया जाएगा।

(2) किसी अनुज्ञात विनिर्माता (बनाने वाला या पैकर) स्टाकधारी, वितरक, व्यौहारी, फुटकर व्यौहारी या थोक उपभोक्ता को किए गए कीटनाशियों के सभी विक्रयों को कीटनाशीवार प्ररूप 13 में एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और वास्तविक उपभोक्ताओं को ऐसे सभी विक्रयों की राज्यवार एक मासिक विवरणी अनुज्ञापन अधिकारी को मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्ररूप 14 में भेजी जाएगी।

(3) कीटनाशी का प्रत्येक आयातकर्ता या विनिर्माता तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों के लिए प्ररूप 15 में और बनाई गई कीटनाशियों के लिए प्ररूप 16 में एक स्टाक रजिस्टर रखेगा।

(4) पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति लिखित सूचना द्वारा, किसी आयातकर्ता या विनिर्माता या कीटनाशियों का संव्यवहार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कीटनाशियों या उसके किसी बैच की बाबत ऐसी जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों की विशिष्टियां है जिनको वे विक्रीत या वितरित की गई है, देने की अपेक्षा कर सकेगा।

14. उक्त नियमों के नियम 16 में, "या वितरित करना" शब्दों के पश्चात् "या परिवहन कराना" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियमों के नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"17. कीटनाशियों को पैक करना.—(1) प्रत्येक पैकेज जिसमें कीटनाशी है इस टाईप का होगा जो रजिट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित हो।

(2) किसी कीटनाशी को प्राथमिक पैकेज में रखने के पूर्व उसके प्रत्येक बैच का विश्लेषण, विनिर्माता के सुसंगत विनिर्देशों के अनुसार, विश्लेषण की अनुमोदित पद्धतियों द्वारा किया जाएगा और विश्लेषण का परिणाम, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा। यदि पैकेज में कोई कीटनाशी रखा जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि वह, इस तथ्य के होते हुए भी कि इसे विक्रय योग्य बनाने के लिए और कार्यवाही करना अभी अपेक्षित है, विक्रय, वितरण या आशयित प्रयोग के लिए उपयुक्त और तैयार है।"

14. उक्त नियमों के नियम 18 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और

(i) इस प्रकार पुनःसंख्याकित उपनियम (1) में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा अपनाया गया कीटनाशी का सामान्य नाम और जहां ऐसा कोई नाम अभी तक नहीं अपनाया गया है वहां ऐसा अन्य नाम जो रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।"

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्याकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित और सचिव, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा हस्ताक्षरित पुस्तिका की दो प्रतियां विनिर्माता को और एक प्रति राज्य अनुज्ञापन अधिकारी को वापस लौटाई जाएगी।

17. उक्त नियमों के नियम 19 में—

(1) उपनियम (1) में—

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा अपनाया गया तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का ब्राड या व्यापार नाम और सामान्य नाम और जहां ऐसा सामान्य नाम अपनाया नहीं गया है वहां ऐसा अन्य नाम जो रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्रतिशतता (द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान) में शुद्धता सहित उक्त सामान्य नाम बड़े अक्षरों में और चमकीले रंग से जो पृष्ठभूमि के रंग से भिन्न हो, लेबल के मुख्य भाग पर दिया जाएगा। अक्षरों का आकार किसी भी दशा में लेबल पर रंगित अक्षरों के अधिकतम आकार से कम नहीं होगा :

परन्तु यदि लेबल इस अपेक्षा के प्रवृत्त होने से पहले ही मुद्रित किया जा चुका है तो पूर्वोक्त सामान्य नाम वाला एक स्टीकर ऊपर उपबन्धित रीति से लेबल के साथ लगाया जाएगा।"

(ख) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) अन्य घटकों की प्रतिशतता सहित सक्रिय घटकों के द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान नाम और प्रतिशतता और शुद्धताएं यदि कोई है, जैसाकि रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा लेबल पर विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित करने के लिए कहा गया है;"

(ग) खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण : यदि अवसान की तारीख, मास और वर्ष मे दी गई है तो इसका अभिप्राय यह होगा कि कीटनाशी अपनी प्रभावकारिता और सुरक्षा इस प्रकार वर्णित मास के अन्तिम दिन तक प्रतिधारित करेगा।

(घ) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ix) विनिर्माण की तारीख (यदि विनिर्माण का मास और वर्ष भी दिया जाना है तो यह पर्याप्त अनुपालन होगा।)

परन्तु बैच संख्यांक, विनिर्माण की तारीख और अवसान की तारीख अमिट स्याही के स्टाम्प द्वारा उत्कीर्णित की जाएगी;"

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित और सचिव रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित लेयल की दो प्रतियां विनिर्माता को और एक प्रति राज्य अनुज्ञापन अधिकारी को वापस लौटा दी जाएगी।"

15. उक्त नियमों के नियम 24 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) कीटनाशी का परीक्षण या विश्लेषण करने में यह पर्याप्त होगा कि कीटनाशी विश्लेषक ऐसे विनिर्देशों और नमूनों के परीक्षण की पद्धतियों का अनुपालन करता है जो रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित है।"

16. उक्त नियमों के नियम 25 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) कीटनाशी निरीक्षक से प्राप्त नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए संदेय फीस भी वह होगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी विशिष्ट राज्य की असली कठिनाइयों पर विचार करने के पश्चात् उसे ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, फीस के संदाय से छूट दे सकेगी।"

17. नियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"37. चिकित्सीय -परीक्षा —(1) उन सभी व्यक्तियों की, जो कीटनाशियों के विनिर्माण/बनाने के दौरान उठाने-रखने/संव्यवहार के काम में लगाए गए हो या जो अन्यथा कीटनाशियों के संपर्क में आएं या जो संक्रिया के दौरान छिड़कने के लिए लगाए गए हों, नियोजन से पूर्व और विनिर्माण/बनाने वाले एककों में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में कम से कम त्रैमासिक रूप से और अन्य मामलों में जिसके अन्तर्गत आपरेटर भी है, वार्षिक रूप से सेवा के दौरान चिकित्सीय परीक्षा ऐसे सक्षम चिकित्सक द्वारा की जाएगी जो ऐसे खतरों से परिचित हो, जिनका सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है ऐसे सभी व्यक्तियों की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षा की विशिष्टियां भी है प्ररूप 17 में एक रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी। जहां प्रयुक्त कीटनाशी कार्ब फास्फोरस सम्मिश्रण या कार्बमेट संमिश्रण वहां विनिर्माण एककों में कार्यरत व्यक्तियों के रक्त के कोलीनेस्टरेस स्तर को एक मास में कम से कम एक बार अवश्य मापा जाएगा। कार्ब क्लोरीन समूह के कीटनाशियों के निर्माण/बनाने वाले एकक में कार्यरत व्यक्तियों की दशा में रक्त अवशिष्ट का माप वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य किया जाएगा। नाशकजीव नियंत्रण आपरेटरों के साथ छिड़कने का काम करने वाले लोगों की दशा में कोलीनेस्टरेस स्तर (यदि वह कार्ब-फास्फोरस या कार्बमेट संमिश्रण साथ कार्य कर रहे हों) और रक्त अवशिष्ट (यदि वे कार्ब-क्लोरीन समूह के साथ कार्य कर रहे हो) का अनुमान उस समय किया जाएगा जब चिकित्सक द्वारा साधारण चिकित्सीय परीक्षण के भाग के रूप में इसको सलाह दी जाए।

(2) जिस व्यक्ति में विषाक्तता के लक्षण प्रकट होते हैं, इसकी तुरन्त परीक्षा की जाएगी और उसे उचित उपचार दिया जाएगा।"

18. उक्त नियमों की पहली अनुसूची में :—

(1) प्ररूप 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 1

(नियम 6 देखिए)

कीटनाशियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. (क) आवेदक का नाम, पता और प्रास्थिति

(ख) उद्योग का प्रवर्ग—एम. एस. आई./डी. जी. टी. डी./एम. आर. टी. पी./एफ. ई. आर. ए./अन्य।

2. उस परिसर का पता जहां विनिर्माण किया जाएगा।

3. उस कीटनाशी का, जिसको आवेदक आयात करने या विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, सामान्य नाम और व्यापार-लाभ।

4. आवेदन आयात के लिए है या विनिर्माण के लिए।

(i) आयात की दशा में, कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें।

(क) विनिर्माता का नाम और पूरा पता

(ख) प्रदायकर्ता का नाम और पता यदि वह विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो।

(ग) क्या उस देश में —

(1) जहां निर्माण किया जाना है।

(2) जहां से प्रदाय किया जाना प्रस्थापित है, कीटनाशी रजिस्ट्रीकृत है।

(ii) विनिर्माण की दशा में, कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें :—

यह कीटनाशी घरेलू उपभोग के लिए या निर्यात के लिए या दोनों के लिए आशयित है।

5. विनिर्माण की दशा में, तकनीकी श्रेणी सामग्री के प्रदाय के स्रोत और उसके रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति।

रासायनिक संरचना :

6. (i) संक्रिय और अन्य संघटकों का प्रकार और नाम, और प्रत्येक की प्रतिशतता।

(ii) भण्डारण में स्थिरता (रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार)

(iii) निधानी आयु दावा।

7. उत्पादों का मनुष्यों, वन्य प्राणियों, जलीय प्राणियों के प्रति विषैलापन (रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार विषैलेपन से संबंधित आंकड़ें संलग्न किए जाने है) :

8. वे पादप-रोग, कीट और अन्य अनिष्टकर जन्तु और घासपात, जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाना आशायित है। (कीटनाशी के जीव-प्रभावकारिता पर प्रकाशित/प्रमाणित रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार संलग्न की जानी है)।

9. भण्डाकरण और प्रयोग के लिए अनुदेश जिसमें प्राथमिक उपचार और पूर्वाविधानात्मक उपाय सम्मिलित हैं जो लेबल पर लिखे जाने के लिए प्रस्थापित है।

10(i) तकनीकी/सूत्रयोजित यौगिक (जैसा लागू हो) और उसके अवशिष्टों के लिए उत्पाद क्वालिटी और विश्लेषण की पद्धति के विनिर्देशों की 10 प्रतियां;

(2) उत्पाद-क्वालिटी के लिए विश्लेषण परीक्षण रिपोर्ट।

11. कीटनाशी नियम, 1971 के अनुसार प्रस्थापित लेबलों और पत्रकों की सात प्रतियां (इनमें वह सभी मुद्रित और ग्राफिक सामग्री सम्मिलित है जो इन पैकेजों के साथ होंगी, जिनमें कीटनाशी हैं)।

12. पैक करने की रीति।

13. जमा कराई गई फीस के ब्यौरे।

सत्यापन

मैं ..... सुपुत्र ..... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हू कि आवेदन और उपाबन्ध तथा उनके साथ कथनों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं ..... के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं तथा ..... के आधार पर इसे सत्यापित करता हूं,

जिसकी एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

टिप्पण (i) आवेदन का प्ररूप, जिसमें सत्यापन का भाग भी है व्यक्ति की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा; भागीदारी फर्म की दशा में, किसी प्रबन्ध भागीदार द्वारा, कम्पनी की दशा में, उस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में, कारबार के संचालन के भारसाधक या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(ii) प्ररूप 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

प्ररूप 2क

(नियम 6 देखिए)

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

कीटनाशियों के अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

ग प्रमाणित किया जाता है कि ..... कीटनाशी जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी

दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त व्यक्ति/उपक्रम के नाम में अन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है जिसकी विशिष्टियां नीचे विनिर्दिष्ट है —

1. व्यक्ति/उपक्रम का नाम :
2. पता :
3. रजिस्ट्रीकरण स. :
4. कीटनाशी का नाम :

   (कीटनाशी का ब्राड नाम या व्यापार नाम और रासायनिक नाम या व्यापार नाम और रासायनिक नाम, संरचना के ब्यौरे)

5. शर्तें, यदि कोई हों :
   (1)
   (2)
   (3)

हस्ताक्षर

नई दिल्ली, तारीख ..... 19.. ..... विभाग की मुद्रा

प्ररूप 2ख

(नियम 6 देखिए)

केन्द्रीय सरकार के कीटनाशी अधिनियम,

1968 की धारा 10 के अधीन अपील।

सेवा में,

सचिव,

कृषि मंत्रालय,
(कृषि और सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली।

19..... की अपील स. .....

1. आवेदक का नाम और पता
2. विनिर्माण एकक का पता
3. कीटनाशी का नाम
4. आदेश की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई
5. आदेश की संसूचना की तारीख
6. क्या अपील परिसीमाकाल के भीतर है
7. जमा की गई फीस की विशिष्टियां
8. वह अनुतोष जिसके लिए अपील में दावा किया गया है
9. पता जिस पर आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी।

हस्ताक्षर

(अपीलार्थी)

—तथ्यों का विवरण

—अपील के आधार

(पृथक पैरा में प्रत्येक आधार का उल्लेख करें और उसे संख्यांकित करें)

हस्ताक्षर

(अपीलार्थी)

सत्यापन

मैं, ...सुपुत्र श्री ..... अपीलार्थी, यह सत्यापित करता हूं कि ऊपर जो कुछ कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख : हस्ताक्षर

स्थान : (अपीलार्थी)

टिप्पण :

(1) अपील दो प्रतियों में की जानी चाहिए और उसके साथ उस आदेश की प्रति होनी चाहिए जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(2) अपील के प्ररूप, अपील के आधारों और सत्यापन के प्ररूप पर किसी व्यक्ति की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा भागीदारी फर्म की दशा में, प्रबंध भागीदार द्वारा; कम्पनी की दशा में उसके निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में, कारबार के संचालन के भारसाधक या उसके लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए;

(iii) प्ररूप 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप 3

(नियम 9 देखिए)

कीटनाशी के विनिर्माण के लिए

अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम, पता और प्राधिकृति :

2. उस परिसर का पता जहां विनिर्माण कार्य किया जाएगा ।

3. रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख सहित उस कीटनाशी का नाम, जिसके विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति का (आवेदन किया गया है आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें)

कीटनाशीयों का नाम	रजिस्ट्रीकरण सं.	तारीख
1.		
2.		
3.		
4.		

4. क्या कोई रजिस्ट्रीकरण अनन्तिम है, यदि हां, तो विशिष्टियां दें :

5 पूर्वोक्त एकक में उल्लिखित कीटनाशी के विनिर्माण और परीक्षण से सम्बद्ध पूर्णकालिक विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के ब्योरे :

नाम	अर्हता	अनुभव
1.		
2.		
3.		

6 क्या नियमों के अध्याय 8 के अधीन अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पृथक पत्रे पर पूर्ण ब्योरे दें :

7. जमा की गई फीस की विशिष्टियां

सत्यापन

मैं .....सुपुत्र श्री.....सत्य निष्ठापूर्वक यह सत्यापित करता हूं कि आवेदन और उसके साथ संलग्न उपाबंध और विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं .....के रूप में अपनी हैसियत से यह आवेदन कर रहा हूं और यह कि मैं .....के आधार पर इस आवेदन को करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। जिसकी एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

स्थान : मुद्रा सहित हस्ताक्षर
तारीख :

(iv) प्ररूप 4 में,

(क) मद संख्या 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3. जमा की गई फीस की विशिष्टियां ;"

(ख) "तारीख" और "हस्ताक्षर" से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सत्यापन

मैं .....सुपुत्र श्री .....सत्य निष्ठापूर्वक यह सत्यापित करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं पदाभिधान के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूं और यह कि मैं ..... के आधार पर आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं, जिसकी एक फोटो/अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है।

स्थान : मुद्रा सहित हस्ताक्षर
तारीख :

(v) प्ररूप 5 में मद 3 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जबकि ऐसे विक्रय कारखाने के परिसर से किए जाते हैं या उसमें उसका भण्डारकरण किया जाता है :

(vi) प्ररूप 6 में, मद 4 और 6 का लोप किया जाएगा।

(vii) प्ररूप 8 में,

(क) मद 3 का लोप कियाजाएगा;

(ख) शर्त संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3. किसी भी कीटनाशी का विक्रय या वितरण ऐसे पैकेजों में किया जाएगा जो भारतीय मानक संस्था द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाते हैं या किए जाएं ;

3ख. यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान किसी अतिरिक्त कीटनाशी का विक्रय, स्टाक या विक्रय या वितरण के लिए प्रदर्शन करना चाहता है तो वह विहित फीस के संदाय पर पृथक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन कर सकेगा :"

(viii) प्ररूप 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप 13

(नियम 15 देखिए)

थोक उपभोक्ताओं को दिए गए विक्रयों का कीटनाशी रजिस्टर

क्रम सं.	तारीख	कीटनाशी का नाम उसकी प्रबलता और ब्रांड नाम	विनिर्माता का नाम	बैच सं.	अवसान की तारीख	पूरे पते सहित क्रेता का नाम	*क्रेत, की अनुज्ञप्ति सं.	विक्रीत मात्रा विक्रीत पैकों की आकार सं. मात्रा	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*थोक उपभोक्ता की दशा में आवेश की संख्या और तारीख दे ।

प्ररूप 14

(नियम 15 देखिए)

तारीख .....से तारीख .....19.... तक .....की अवधि के लिए

राज्य के थोक उपभोक्ताओं को किए गए कीटनाशियों के विक्रय की मासिक विवरणी

क्रम सं०	कीटनाशी का नाम उसके ब्रांड नाम, प्रबलता और सूत्रयोग के प्रकार सहित	किसके द्वारा विनिर्मित किया गया	बैच सं.	अवसान की तारीख	पूरे पते सहित क्रेता का नाम	*क्रेता की अनुज्ञप्ति सं.	पैक का आकार	विक्रीत पैकों से मात्रा की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ...सत्यापित करता हूं कि ऊपर जो भी कथन किया गया है वह अभिलेख से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं .....(पदाभिधान) के रूप में अपनी हैसियत में इस कथन को करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

हस्ताक्षर .....
नाम
मुद्रा

*थोक उपभोक्ता की दशा में आदेश की संख्या और तारीख दें।

प्ररूप 15

(नियम 15 देखिए)

तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का स्टाक रजिस्टर

तारीख	आरम्भिक अतिशेष	आयातित मात्रा	विनिर्मित मात्रा	कुल मात्रा (2+3+4)	विक्रीत मात्रा	सूत्रयोग के लिए उपयोग में लाई गई मात्रा	कुल मात्रा (6+7)	अन्त अतिशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(मीट्रिक टनों में मात्रा)					

प्ररूप 16

(नियम 15 देखिए)

सूत्रयोजित कीटनाशी का स्टाक रजिस्टर .....

क्रम सं.	तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का आरम्भिक अतिशेष	आयातित/क्रय किए गए/ अपवर्तित तकनीकी श्रेणी कीटनाशी	कुल तकनीकी श्रेणी कीटनाशी स्तम्भ (2+3)	विनिर्मित योग के लिए प्रयुक्त कुल तकनीकी श्रेणी कीटनाशी	तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का अतिशेष (4+5)
1	2	3	4	5	6

विनिर्मित योगों का आरम्भिक अतिशेष	सुनियोजित/आयातित मात्रा	कुल विनिर्मित मात्रा (7+8)	विक्रीत मात्रा	अंत अतिशेष
7	8	9	10	11

"तीन प्रतियों में"

प्ररूप 17

(नियम 24 देखिए)

कीटनाशी विश्लेषक की रिपोर्ट

1 उस कीटनाशी निरीक्षक का नाम जिससे नमूने प्राप्त किए गए हैं ।

2 कीटनाशी निरीक्षक के ज्ञापन की क्रम संख्या और तारीख

3 नमूना संख्या

4 प्राप्ति की तारीख

5. नमूने में अन्तर्विष्ट तात्पर्यित कीटनाशी का नाम

पैकेज पर मुद्राओं की स्थिति यह बताए कि क्या

(1) नमूना भली प्रकार मुद्रा बंद और बंधा हुआ था

(2) मुद्रा साबुत थी और टूटी नहीं थी

(3) आधान पर नमूने के साथ आवेष्टक पर लगाई गई मुद्रा, मुद्रा के नमूने की उस छाप से मिलती है जो पृथक रूप से कीटनाशी निरीक्षक द्वारा भेजी गई है और

(4) नमूना विश्लेषण के लिए सही दशा में था ।

7 विश्लेषण की तारीख

8 परीक्षण के उन प्रोटोकोलों सहित जिनका अनुप्रयोग किया गया है परीक्षा या विश्लेषण के परिणाम ।

सत्यापन

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने पूर्वोक्त वर्णित नमूने का विश्लेषण करा लिया है/विश्लेषण कर लिया है, और विश्लेषण के परिणाम की घोषणा पूर्वोक्त रूप से करता हूं ।

आज तारीख 19 को हस्ताक्षरित ।

(मुद्रा सहित कीटनाशी
विश्लेषक के हस्ताक्षर)

प्ररूप-18

(नियम 30 देखिए)

कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 21 (1) (घ) के अधीन किसी व्यक्ति के कब्जे में के स्टाक का व्ययनित न करने का आदेश

मेरे पास विश्वास करने के लिए कारण हैं, कि तुम्हारे कब्जे में -- --- के स्टाक को जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, विनिर्मित विक्रय या प्रयोग करने में कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा या कीटनाशी नियम, 1971 की का उल्लंघन किया जा रहा है ।

मैं उक्त अधिनियम की धारा 21 (1) (घ) के अधीन तुम पर उक्त स्टाक का विनिर्माण, विक्रय या प्रयोग करने पर आज की तारीख से अवधि के लिए रोक लगाता हूं ।

तारीख/कीटनाशियों सूत्रयोग के स्टाक के ब्यौरे

1
2
3
4.
5
6

तारीख

कीटनाशी निरीक्षक
मुद्रा

प्ररूप-19

(नियम 32 देखिए)

अभिग्रहित कीटनाशियों की प्राप्ति का प्ररूप

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 (1) (घ) के अधीन अभिग्रहित कीटनाशी के स्टाक की रसीद ।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 (1) (घ) के अधीन आज मेरे द्वारा ..... के परिसर से जो ..... में स्थित है कीटनाशी का स्टाक जिसका ब्यौरा नीचे दिया है, अभिग्रहित किया गया :

अभिग्रहीत कीटनाशी के ब्यौरे :—

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

तारीख :

कीटनाशी निरीक्षक

(कार्यालय की मुद्रा)

प्ररूप 20

(नियम 33 देखिए)

व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी को जिससे नमूना लिया गया है, सूचनापत्र

सेवा में,

.....

.....

.....

मैंने आज ..... परिसर, जो ..... में स्थित है, से नीचे विनिर्दिष्ट कीटनाशी के नमूने परीक्षण या विश्लेषण के लिए हैं ।

तारीख :

कीटनाशी निरीक्षक

लिए गए नमूनों के ब्यौरे

तारीख :

कीटनाशी निरीक्षक

प्ररूप 21

(नियम 34 देखिए)

सरकारी विश्लेषक को ज्ञापन

सेवा में,

.....

.....

सेवा में,

सरकारी विश्लेषक,

.....

नीचे वर्णित नमूने/प्राधान के अंश को कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 34 के अधीन परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है।

नमूने/प्राधान के अंश को निम्नलिखित चिन्ह से चिह्नांकित किया गया है :—

सम्बन्धित कीटनाशी के नाम के साथ नमूने या प्राधान के अंश के ब्यौरे

तारीख :

कीटनाशी निरीक्षक

(मुद्रा)

प्रारूप-22

(नियम 37 देखिए)

वर्ष 19·· ·····के लिए कीटनाशियों के संबंध में नियोजित व्यक्तियों और उनकी कालिक चिकित्सीय परीक्षा का ·· ·····रजिस्टर

क्रम सं ·····

नाम ·····

आयु ·····

पिता/पति का नाम ·····

पूरा पता ·····

लिंग ·····

पहचान चिन्ह ·····

नियुक्ति की तारीख ·····व्यवसाय : (कृपया कर्तव्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

पूर्ववृत्तांत	1. भूतकाल		2. वर्तमान		
बीमारी	विषाक्तता	एलर्जी	कीटनाशियों के लिए उद्भासन (सम्मिश्रण)	वर्षों की सं.	मौसम टिप्पणियां यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6

कौटुम्बिक वृत्तांत एलर्जी	मनोवैज्ञानिक विकास	आय मोरहैजिक विकार
1	2	3

व्यक्तिगत वृत्तांत धूम्रपान	अल्कोहल	अन्य दवा
1	2	3

संप्रेक्षण

चिकित्सीय परीक्षा	नियोजन पूर्व परीक्षा	पहली तिमाही का अंत अर्थात् 3 मास के पश्चात्	दूसरी तिमाही के पश्चात् अर्थात् 6 मास पश्चात्	तीसरी तिमाही के पश्चात् अर्थात् 9 मास के पश्चात्	वर्ष का अंत	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1. साधारण परीक्षा						
साधारण शरीर क्रिया						
वजन						
नाड़ी						
रक्तचाप						
श्वसन						
अरक्तता						
शोथ						
पीलिया						
त्वचा दशा						
ज्वर						
क्लांतिशीलता						

1	2	3	4	5	6	7

स्वेदन
निद्रा
मूत्र

2 जठरांत्र
मचली
वमन
क्षुधा
स्वाद
उदर वेदना
आंत गति
जिगर
तिल्ली

3. हृदय श्वसन
नासा स्राव
घरघराहट
कफ
खांसी
छाती का खिंचाव
श्वसनरोध
धड़कन
हृदय
नीलिमता
अनियमितस्पंदन

4 चेपापेक्षीय
शिरोवेदना
घुमनी
चिड़चिड़ापन
वेदना
स्फुरण
कम्पन
ऐंठन
विकृतानुभूति
वृष्टि भ्रम
चेतनाहीन
गंभीर स्वत: क्रिया
उपरिष्ट स्वत: क्रिया
समन्वय

5. नेत्र
पुतली
अक्षुस्खलन
द्विदृष्टि
धुंधली दृष्टि

6 मनोविज्ञान संबंधी
स्वभाव
निर्णय
विक्षोभ

1	2	3	4	5	6	7

7. वृक्क

वृक्क दशा

8. अन्वेषण

रक्त एच बी प्रतिशत

रक्त डी सी

*सीरम कोलोनेस्टरेज

सीरम बिलीरुबिन

मूत्र नेबी परीक्षा

मूत्र सूक्ष्मदर्शीय

छाती का एक्सरे

*आर्गेनोफास्फोरस/कार्बामेट समूह के कीटनाशियों की दशा में सीरम कोलोनोस्टरेज स्तर का नापमान मासिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए। उपर्युक्त परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डाक्टर की साधारण टिप्पणियां

सलाह निम्नलिखित को दी गई :

1. रोगी

2. नियोजक :

डाक्टर की सलाह के अनुसार नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई :
निम्नलिखित के हस्ताक्षर/नि. अंगूठा

1. डाक्टर

2. कर्मचारी :

3. नियोजक/विनिर्माता

4. निरीक्षण के समय अनुज्ञापन अधिकारी :

टिप्पण : आर्गेनोक्लोरीन समूह के कीटनाशियों में रक्त अवशेष प्राक्कलन एक वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

22. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

"दूसरी अनुसूची

(नियम 25 देखिए)

कीटनाशियों के नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए फीस

क्रम सं.	कीटनाशी का नाम	सूत्रयोग का टाइप	भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश अनुसार परीक्षण	परीक्षण प्रभार भार (रुपयों में)
1	2	3	4	5
क	कीटनाशी			
	1. ऐल्ड्रिन	तकनीकी	1306—1974	200.00
	2. ऐल्ड्रिन	धूलन चूर्ण	1308—1984	195.00
	3. ऐल्ड्रिन	पायसीकरणीय सांद्र	1307—1982	240.00
	4. ऐन्डोसल्फ	कैपसूल में कणिकाएं	9371—1980	320.00
	5. बी एच सी (एच सी एच)	तकनीक और परिष्कृत	560—1980	210.00
	6. बी एच सी (एच सी एच)	धूलन चूर्ण	561—1978	195.00
	7. बी एच सी (एच सी एच)	आर्द्रनीय चूर्ण	562—1978	220.00
	8. बी एच सी (गामा आइसोमर)	पायसीकरणीय सांद्र	632—1978	240.00
	9. कार्बोरिल	तकनीकी	7539—1975	240.00

1	2	3	4	5
10. कार्बोरिल		धूलन चूर्ण	7122--1984	195.00
11. कार्बोरिल		आर्द्रनीय चूर्ण	7124--1984	230.00
12. कार्बोरिल		कणिकाएं	9368--1980	270.00
13. कार्बोफ्यूरान		कैप्सूल में कणिकाएं	9360--1980	220.00
14. क्लोरडेन		तकनीकी	2863--1964	95.00
15. क्लोरडेन		धूलन चूर्ण	2864--1973	95.00
16. क्लोरडेन		पायसीकरण सांद्र	2682--1984	165.00
17. डी डी टी		तकनीकी	563--1973	130.00
18. डी डी टी		धूलन चूर्ण	564--1984	95.00
19. डी डी टी		आर्द्रनीय चूर्ण	565--1984	129.00
20. डी डी टी		पायसीकरणीय सांद्र	633--1985	140.00
21. डायजिनान		तकनीकी	1833--1980	110.00
22. डायजिनान		आर्द्रनीय चूर्ण	2862--1984	120.00
23. डायजिनान		पायसीकरणीय सांद्र	2861--1980	140.00
24. डायजिनान		कणिकाएं	9369--1980	170.00
25. डायक्लोरवोस		तकनीकी	4929--1978	210.00
26. डायक्लोरवोस		पायसीकरणीय सांद्र	5277--1978	205.00
27. डायमेथोएट		तकनीकी	3902--1975	210.00
28. डायमेथोएट		पायसीकरणीय सांद्र	3903--1984	240.00
29. एनडोसलफान		तकनीकी	4344--1978	110.00
30. एनडोसलफान		पायसीकरणीय सांद्र	4323--1980	140.00
31. एनडोसलफान		धूलन चूर्ण	4322--1967	95.00
32. एनडोसलफान		आर्द्रनीय चूर्ण	4324--1967	120.00
33. फेनीट्रोथियन		तकनीकी	5280--1969	120.00
34. फेनीट्रोथियन		धूलन चूर्ण	7126--1973	95.00
35. फेनीट्रोथियन		पायसीकरणीय सांद्र	5281--1979	105.00
36. फेनीट्रोथियन		कणिकाएं	9365--1980	170.00
37. फेनीट्रोथियन		तकनीकी	7950--1976	210.00
38. फेंथियन		पायसीकरणीय सांद्र	7948--1976	240.00
39. फेनथियन		कणिकाएं	9363--1980	280.00
40. फारमेथियन		पायसीकरणीय सांद्र	8026--1976	140.00
41. हैप्टाक्लोर		तकनीकी	6432--1972	110.00
42. हैप्टाक्लोर		धूलन चूर्ण	6429--1981	95.00
43. हैप्टाक्लोर		पायसीकरणीय सांद्र	6439--1975	140.00
44. लिन्डेन		तकनीकी	1592--1986	220.00
45. लिन्डेन		कणिकाएं	9370--1980	270.00
46. मैलथायान		तकनीकी	1832--1978	220.00
47. मैलथायान		धूलन चूर्ण	2568--1978	230.00
48. मैलथायान		आर्द्रनीय चूर्ण	2569--1978	255.00
49. मैलथायान		पायसीकरणीय सांद्र	2567--1978	205.00
50. मैथिल पैराथियन		तकनीकी	2570--1980	220.00
51. मैथिल पैराथियन		धूलन चूर्ण	8960--1978	95.00
52. मैथिल पैराथियन		पायसीकरणीय सांद्र	2865--1978	240.00
53. मैथिल पैराथियन		कणिकाएं	9372--1980	120.00
54. मोनोक्रोटोफोस		तकनीकी	8025--1983	175.00
55. मोनोक्रोटोफोस		विलेय द्रव	8074--1983	185.00
56. निकोटिन सल्फेट		घोल	1055--1984	60.00

1	2	3	4	5
57.	मार्कस डायमेटन मैथाइल	तकनीकी	8258—1976	100 00
58.	मार्कस डायमेटन मैथाइल	पायसीकरणीय सांद्र	8259—1976	140 00
59.	फेंथोएट	तकनीकी	8293—1979	120 00
60.	फेंथोएट	पायसीकरणीय सांद्र	8291—1976	140.00
61.	फोरेट	तकनीकी	7676—1976	120 00
62.	फोरेट	कैप्सूल में कणिकाएं	9359—1980	220 00
63.	फोसालोन	तकनीकी	8488—1977	210 00
64.	फोसालोन	पायसीकरणीय सांद्र	8487—1977	240 00
65.	फोसफामीडोन	तकनीकी	4938—1968	100.00
66.	फोसफामीडोन	विलेय द्रव	6177—1981	85 00
67.	प्रोपाक्सर	तकनीकी	8496—1977	120 00
68.	पाइरेथरम	पायसीकरणीय सांद्र	4808—1982	115.00
69.	पाइरेथरम	निष्कर्ष	1051—1988	85.00
70.	पाइरेथरम	डिस्मनाशी तेल	6014—1978	115 00
71.	क्यौनलफोस	तकनीकी	8072—1983	220.00
72.	क्यौनलफोस	धूलन चूर्ण	8029—1985	195 00
73	क्यौनलफोस	पायसीकरणीय सांद्र	8028—1976	250.00
73.	क्यौनलफोस	कणिकाएं	9366—1980	270.00
74.	थियोमीटोन	पायसीकरणीय सांद्र	3905—1966	140 00
75.	थियोमीटोन	सांद्र	3904—1966	120.00
76.	टेमीफोस	तकनीकी	8701—1978	210.00
77.	टेमीफोस	पायसीकरणीय सांद्र	8498—1977	240.00
78.	ट्राइक्लोरफान	तकनीकी	7943—1976	120.00
79.	ट्राइक्लोरफान	धूलन चूर्ण	7943—1976	95.00
80.	ट्राइक्लोरफान	कणिकाएं	9364—1980	170 00
(ख)	एकैरनाशी			
81.	डाइकोफोल	तकनीकी	5278—1969	100.00
82.	डाइकोफोल	पायसीकरणीय सांद्र	5279—1969	105.00
(ग)	कवकनाशी			
83.	कार्बेन्डाजिम (एम एम सी)	तकनीकी	8445—1977	200.00
84.	कार्बेन्डाजिम	आर्द्रनीय चूर्ण	8446—1977	220.00
85.	कोपर ऑक्सीक्लोराइड	तकनीकी	1486—1978	185 00
86.	कोपर ऑक्सीक्लोराइड	धूलन चूर्ण	1506—1977	95.00
87.	कोपर ऑक्सीक्लोराइड	आर्द्र चूर्ण	1507—1982	110 00
88.	कपूप्रस आक्साइड (कवकनाशी श्रेणी)	तकनीकी	1682—1971	125 00
89.	एडलोफेनफोस	तकनीकी	8954—1978	220.00
90.	एडलोफेनफोस	पायसीकरणीय सांद्र	8953—1978	240.00
91.	एथिल मरकरीक्लोराइड	तकनीकी	2354—1983	110 00
92	लाइम सलफर	घोल	1030—1984	135.00
93	मैंनकोजेब	तकनीकी	8707—1978	100.00
95	मैंनकोजेब	आर्द्रनीय चूर्ण	8709—1978	155 00
95	मैथोक्सी इथेल मरकरी क्लोराइड (एम ई एम सी)	बीज ड्रेसिंग	2358—1984	70.00
96	पैंटाक्लोरोनाइट्रेबेनजेन (क्विन्टोजेन)	तकनीकी	7985—1976	210.00
97	पैंटाक्लोरोनाइट्रेबेनजेन (क्विन्टोजेन)	धूलन चूर्ण	7944—1976	195.00
98	पैंटाक्लोरोनाइट्रेबेनजेन (क्विन्टोजेन)	आर्द्रनीय चूर्ण	7948—1976	220.00

1	2	3	4	5
99	फिनाइल मरकरी ऐसीटेट	तकनीकी	2126—1973	95.00
100	सलफर	घूलन चूर्ण	6444—1979	70.00
101	सलफर	आर्द्रनीय चूर्ण	3383—1983	130.00
102	थाइरम	तकनीकी	4328—1982	95.00
103	थाइरम	आर्द्रनीय चूर्ण	4766—1982	105.00
104	जाइनयब	तकनीकी	3998—1981	75.00
105	जाइनब	आर्द्रनीय चूर्ण	3899—1981	130.00
106	जाइरम	तकनीकी	3900—1975	75.00
107	जाइरम	आर्द्रनीय चूर्ण	3901—1975	105.00
(ब)	शाकनाशी			
108	एलाक्लोर	पायसीकरणीय सांद्र	9354—1980	240.00
109	एलाक्लोर	कणिकाएं	9361—1980	170.00
110	बूटाक्लोर	तकनीकी	9355—1980	210.00
111	बूटाक्लोर	पायसीकरणीय सांद्र	9356—1980	240.00
112	बूटाक्लोर	कणिकाएं	9962—1980	170.00
113	डालापोन	तकनीकी	8267—1976	180.00
114	डालापोन	आर्द्रनीय चूर्ण	8286—1976	170.00
115.	2,4-D	तकनीकी	4321—1978	130.00
116	डियारोन	तकनीकी	8702—1978	110.00
117.	डियारोन	आर्द्रनीय चूर्ण	8703—1978	120.00
118	फ्लू क्लोरालिन	तकनीकी	8958—1978	200.00
119	फ्लू क्लोरालिन	पायसीकरणीय सांद्र	8959—1978	240.00
120	एम सी पी ए	तकनीकी	8494—1977	135.00
121.	नाइट्रोफेन	तकनीकी	8956—1978	210.00
122	नाइट्रोफेन	पायसीकरणीयसांद्र	8957—1978	240.00
123	पैराकेट डाइक्लोराइड	साल्ट/म्यू घोल	8197—1977	200.00
124.	प्रोपेनिल	तकनीकी	8071—1976	200.00
125.	प्रोपेनिल	पायसीकरणीय सांद्र	8227—1976	205.00
126.	ट्रायलेट	तकनीकी	9557—1980	210.00
127.	ट्रायलेट	पायसीकरणीय सांद्र	9858—1980	240.00
(ङ)	वनस्पति वृद्धि विनियमक			
128.	क्लोरोमोकेट क्लोराइड	तकनीकी	8961—1978	135.00
(च)	धूमक			
129.	एलुमीनियम फोस्फाइड	टिकिया	6438—1980	60.00
130.	एथिलेन डाइब्रोमाइड	तकनीकी	1311—1966	95.00
131.	एथिलेन डाइक्लोराइड कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड मिश्रण	(3 : 1, वी/वी)	634—1965	130.00
132	मिथाइल ब्रोमाइड	तकनीकी	1312—1980	85.00
133.	वारफेरिन	तकनीकी	5558—1970	185.00
134.	वारफेरिन	कंसंट्रेट	5540—1970	160.00
135.	वारफेरिन (सोडियम साल्ट)	तकनीकी	5551—1970	185.00
136.	वारफेरिन (सोडियम साल्ट)	घुलनशील द्रव	7168—1973	260.00
137.	जिंक फास्फाइड	तकनीकी	1251—1984	60.00

कीटनाशियों या उसकी विभिन्न विनिर्मितियों की बाबत जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, परीक्षण या विश्लेषण के लिए फीस निम्न प्रकार होगी जब तक केन्द्रीय सरकार या समय समय पर, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

1	तकनीकी श्रेणी	160.00 रु.
2	घुलन चूर्ण	125.00 रु.
3.	आर्द्रनीय चूर्ण	150.00 रु

4. पायमीकरणाय सांद्र	205.00 रु
5. कणिकाएं	225.00 रु.
6. अन्य विनिर्मितियां	210.00 रु.

[सं. 19-44/79-पी. पी. आई.]

इन्द्रजीत सिंह मन्ही, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भा.का.नि. सं. 1650 (अ) तारीख 30 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् भा.का.नि. सं. 471(अ) तारीख 24 जुलाई, 1976 और भा.का.नि. सं. 736 (अ) तारीख 9 दिसंबर, 1977 द्वारा उसका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 1993

G.S.R. 533(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 were published as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1), dated the 7th December, 1992, under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, No. G.S.R. 915(E), dated the 7th December, 1992, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said notification as published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 26th February, 1993;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board hereby makes the following rules, further to amend the insecticides Rules, 1971, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 1993;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referrd to as the said rules), in rule 2,

(i) after the existing clause (a) the following clause (c) shall be inserted, namely :—

"(c) "expiry date" means the date that is mentioned on the container, label or wrapper against the column 'date of expiry';"

(ii) after so inserted clause (c), for clauses (d) and (e) the following clauses shall be substituted, namely :—

"(d) "form" means a form set out in the First Schedule;

(e) "laboratory" means the Central Insecticides Laboratory;"

(iii) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) 'Pests" means any insects, rodents, fungi, weeds and other forms of plant or animal life not useful to human beings;"

(iv) after so substituted clause (h), the following clauses shall be added, namely :—

"(i) "primary package" means the immediate package containing the insecticides;

(j) "principal" means the importer or manufacturer of insecticide, as the case may be;

(k) "registration" includes provisional registration;

(l) "rural area" means an area which falls outside the limits of any Municipal Corporation or Municipal Committee or a notified Area Committee or a Cantonment;

(m) 'Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(n) "secondary package" means a package which is neither a primary package nor a transportation package;

(o) "section" means a section of the Act;

(p) "testing facility" means an operational unit where the experimental studies are being carried out or have been carried out in relation to submission of data on product quality or on safety or on efficacy, or on residues or on stability in storage of the insecticides for which an application for registration is made;

(q) "transportation package" means the outer most package used for transportation of insecticides."

3. In rule 6 of the said rules,

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1)(a) An application for registration of an insecticide under the Act shall be made in Form I and the said Form including the verification portion, shall be signed in case of an individual by the individual himself or a person duly authorised by him; in case of Hindu Undivided Family, by the Karta or any person duly authorised by him; in case of partnership firm by the managing partner; in case of a company, by any person duly authorised in that behalf by the Board of Directors; and in any other case by the person in charge of responsible for the conduct of the busidess. Any change in members of Hindu Undivided Family or partners or the Board of Directors or the person in charge, as the case may be, shall be forthwith intimated to the Secretary, Central Insecticides Board and Registration Committee and the Licensing Officer.

(b) The Registration Committee may, if necessary direct the inspection of the 'testing facility' for establishing the authenticity of the data";

for sub-rules (3) and (4) the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(3) The registration fee payable shall be paid by a demand draft drawn on the State Bank of India, Faridabad, in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana.

(4) The certificate of registration shall be in Form II or Form IIA, as the case may be and shall be subject to such conditions as specified therein".

4. After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"6A Issue of duplicate certificate of registration-A fee of rupees five shall be paid for a duplicate copy of a certificate of registration if the original is defaced, damaged or lost".

□ 5. In rule 7 of the said rules :—

(i) in sub-rule (1), after the word "writing", the words, figures and letter "in Form IIB, in duplicate" shall be inserted;

(ii) for sub-rule (4) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The fees payable for preferring an appeal shall be paid by a demand draft drawn on the State Bank of India, Faridabad, in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana".

6. In rule 9 of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namley :—

"(4) A licensing officer may, after giving reasonable opportunity of being heard, to the applicant, refuse to grant any licence.

(4A) No licence to manufacture an insecticide shall be granted unless the licensing officer is satisfied that necessary plant and machinery, safety devices and first aid facilities, etc., exist in the premises where the insecticide is proposed to be manufactured".

7. In rule 10 of the said rules,

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The fee payable under sub-rule (1) for the grant or renewal of a licence shall be rupees twenty for every insecticide for which the licence is applied, subject to a maximum of rupees three hundred. There shall be a separate fee for each place, if any insecticide is proposed to be sold, stocked or exhibited for sale at more than one place:

Provided that the maximum fee payable in respect of insecticides commonly used for household purposes and registered is such shall be rupees ten for every place :

Provided further that, if the place of sale is established in the rural areas, the fee shall be one-fifth of the fee specified in this sub-rule".

(ii) in sub-rule (3), after the words "such place", the words "and for every insecticide" shall be added;

(iii) in sub-rule (4), for clauses (iii) and (iv), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iii) Where the licensee wants to sell, stock or exhibited for sale or distribute any additional insecticides during the currency of the licence, he may apply to the licensing officer for necessary endorsement on the licence on payment of fees specified in sub-rule (2)".

(iv) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :

"(4)(i) Every person shall along with his application for grant or renewal of a licence to undertake operations or shall, stock or exhibit for sale or distribute insecticides, file a certificate from the principal whom he represents or desires to represent.

(ii) The certificate to be issued by the principal shall be addressed to the licensing officer of the concerned area and shall contain full particulars of the principal including their registration and manufacturing licence numbers, full name and address of the person proposed to be authorised and also the type of formulations to be used in commercial pest control operations, sold, stocked or exhibited for sale or distribution.

(iii) In order to verify the genuineness or otherwise of the certificate, the principal shall send to the licensing officer of the State where he intends to sell his products an adequate number of copies of the specimen signature or the specimen signatures of the persons authorised in writing to issue the principal's certificate.

(iv) In case of suspension, revocation or cancellation of the certificate, the principal shall forthwith intimate the licensing officer having jurisdiction".

(v) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) A licensing officer may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, refuse to grant any licence".

8. After rule 10 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"10A. Segregation and disposal of date expired pesticides—

(a) Immediately after the date of expiry all such stocks after being segregated and stamped 'not for sale' or 'not for use' or 'not for manufacture', as the case may be, shall be kept by the licensee in a separate place specially demarcated for the purpose with a declaration 'date-expired insecticidees' to be exhibited on the conspicuous part of the place.

(b) All such stocks then shall be disposed of in such a manner as may be specified from time to time by the Central Government in consultation with the Central Insecticides Board.

10B. Special provision with regard to Sulphur—In regard to insecticides sulphur and its formulations, all licensees shall :—

(a) observe all precautions to prevent its theft;

(b) report any such theft to the nearest police authorities promptly; and

(c) maintain a separate register showing names and addresses of all the persons to whom it has been sold on distributed and the quantities to sold or distributed.

10C. Prohibition against sale or storage of Insecticides in certain places—No person shall manufacture, store or expose for sale or permit the sale or storage of any insecticide in the same building where any articles consumable by Indian beings or animals are manufactured, stored or exposed for sale.

Explanation.—Nothing contained in this rule will apply to the retail sales of household insecticides from the building wherefrom other articles consumable by human beings or animals are usually sold provided such household insecticides have been registered as such and are packed and tabelled in accordance with these rules."

9. In rule 11 of the said rules,

(i) for clause (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(a) Any licence issued or renewed under this chapter shall, unless sooner suspended or cancelled, been force for a period of two calendar years

Provided that the licence to manufacture insecticides, if any, issued on the basis of provisional registration granted under sub section (3B) of section 9, shall expire on the date of expiry of the provisional registration :

Provided further that the licence granted by endorsement on the main licence under clause (iii) of sub-dule (8) of rule 9 or under clause (iii) of sub-rule (4) of rule 10 or under sub-rule (3) of rule 10A shall expire or be renewable along with the main licence.

(b) An application for the renewal of a licence shall be made before its expiry and if such an application is made after the date of expiry but within three months from such date, a late fee of—

(i) rupees fifty for the first month or part thereof, rupees one hundred for the second month or part thereof and rupees one hundred and fifty for the third month or part thereof in the case of licence to manufacture insecticides or to carry pest control operations;

(ii) rupees ten for the first month or part thereof, rupees twenty for the second month or part thereof and rupees thirty for the third month or part thereof, in case of any other licence,

shall be paid along with the application for renewal;

Provided that where the main pest control operation unit or the place of sale is located in the rural areas, the late fee shall be one-fifth of the said late fee :

Provided further that in case of death or disability of the licensee the licensing officer may, after recording reasons in writing, exempt the applicant from pavemnt of the late fee.

Explanation.—(1) Where an application for renewal is made before the expiry of the licence and the order regarding refusal or renewal is passed after the expiry of the licence, the applicant shall be deemed to have been carrying on his business in accordance with the expired licence till the date of communication of the final order on that application.

(2) Where an application for renewal is made after the expiry of the licence with late fee, the applicant shall be deemed to have been carrying on his business in accordance with the expired licence (from the date of expiry) till the date of communication of the final order on that application."

(ii) in clause (c), the words "and shall be deemed to have expired if the application for renewal is not made within a month after its expiry" shall be omitted;

(iii) in clause (d), for the words "and on such refusal the fee paid for such renewal and the penalty, if any, paid shall be refunded to the applicant", the words "for reasons to be recorded in writing" shall be substituted.

10. In rule 13 of the said rules, after the words "vary or amend a licence", the following words shall be inserted, namely :—

"after satisfying himself that the Registration Committee has amended the registration certificate and".

11. For rule 15 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"15. Issuing cash memo and maintenance of records—(1) All sales of insecticides shall be made by a bill or cash memo in the form prescribed under any law.

(2) All sales of insecticides made to a licensed manufacturer (formulator or packer), stockist, distributor, dealer, retailer or to a bulk consumer shall be entered insecticidewise, in a register in Form XIII and a Statewise monthly return of all sales to actual consumers shall be sent to the licensing officer, in Form XIV within 15 days from the close of the month.

(3) Every importer or manufacturer of insecticide shall maintain a stock register in Form XV for technical grade insecticides and in Form XVI for formulate insecticides.

(4) Without prejudice to the foregoing, the Central Government or the State Government or any other person authorised by it may, by notice in writing require any importer or manufacturer or any other person dealing in insecticides to furnish within the time specified in the notice, such information with respect to any insecticides or any batch thereof, including the particulars of all persons to whom it has been sold or distributed, as it may consider necessary".

12. In rule 16 of the said rules, after the words "or distribute", the words "or cause to be transported" shall be inserted.

13. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"17. Packaging of insecticides.—(1) Every package containing the insecticides shall be of a type approved by the Registration Committee.

(2) Before putting any insecticide into the primary package, every batch thereof shall be analysed as per the relevant specifications of the manufacture thereof, in accordance with the approved methods of analysis and the result of such an analysis shall be recorded in the register maintained for the purpose. If any insecticide is put in the package it shall be presumed that it is fit and ready for sale, distribution or use for which it is intended, notwithstanding the fact that any further steps are still required to be taken to make it marketable".

14. Rule 18 of the said rules shall be renumbered as sub-rule (1) thereof, and —

(i) in sub-rule (1) as so renumbered, after clause (f), the following clause shall be instreted, namely :—

"(g) common name of the insecticide as adopted by the International Standards Organisation and where such a name has not yet been adopted such other name as may be approved by the Registration Committee;"

(ii) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, nemely :—

"(2) Two copies of the leaflets duly approved by the Registration Committee and signed by the Secretary, Registration Committee, shall be returned to the manufacturer and one copy of the State licensing officer."

15. In rule 24 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) In making the test or analysis of insecticides, it shall be sufficient of the Insecticides Analyst follows that specifications and the months of examination of samples as approved by the Registration Committee."

16. In rule 25 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The fee payabel for testing or analysing samples received from the Insecticides Inspector shall also be as specified in the Second Schedule :

Provided that the Central Government may, after taking into consideration to genuine difficulties of any particular State Government, exempt from payment of the fee for such period as it may consider reasonable".

17. For rule 37, the following rule shall be substituted, namely :—

"37. Medical Examination.—(1) All persons who are engaged in the work of handling, dealing or otherwise coming in contact with the insecticides during manufacture|formulation of insecticides or being engaged spraying during operation shall be examined medically before their employment and atleast quarterly in the case of those engaged in manufacturing|formulation units any yearly in any other cases including operators while in service by a qualified doctor who is aware of risks to which such persons are exposed. Particulars of all such persons, including the particulars of their medical examination, shall be entered in a register in Form XVII

Where the insecticide in question is an organophosphorous compound or a carbamate compound, the blood cholinesterase level shall be measured atleast once a month of all persons working in the manufacturing units. The blood residue estimation shall be done once in a year in the case of persons working with organo chlorine group of insecticides in a manufacturing| formulation unit. In the case of spraying people working with the pest control operators, the estimation of cholinesterase level (if working with organo phosphorous or carbamate compounds) and blood residue (if working with organo chlorine group) shall be conducted as and when advised by the doctor as part of the general medical test.

(2) Any person showing symptoms of poisoning shall be immediately examined and given proper treatment".

18. In the First Schedule to the said rules, —

(1) For Form 1, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM I

(See rule 6)

Application for registration of insecticides.

1. (a) Name, address and status of the applicant.

(b) Category of the industry—SSI|DGTD|MRTP|FERA|others.

2. Address of he premises where the manufacture will be done

3. The common name and trade name of the Insecticides which the applicant proposes to import or manufacture.

4. Whether the application is for import or for manufacture :

(i) In the case of import please state :—

(a) Name and address of the manufacturer.

(b) Name and address of the supplier if he is duly authorised by the manufacturer.

(c) Is the insecticide registered in the country—

(1) of manufacture.

(2) from which supplies are expected to be made.

(ii) In the case of manufacture please state :—
Where this insecticide is meant for domestic consumption or for export or for both.

5. In the case of formulation, the sources of supply of technical grade material and its status of registration. Chemical composition.

6. (i) Kind and name of active and other ingredients and percentages of each.

(ii) Stability in storage (as per details specified by the Registration Committee).

(iii) Shelf life claim.

7. Toxicity of the products to human beings, wild life, acquatic animals (toxicological data to be enclosed as per details specified by the Registration committee).

8. The plant diseases, insects and other posions animals and weeds against which it is intended to be used. (Published/authentic reports on bioefficacy of the insecticide to be enclosed as per details specified by the Registration Committee).

9. Instructions for storage and use including first aid and precautionary measures which are proposed for labelling.

10. (i) Ten copies of specifications for product, quality and methods of analysis for Technical/Formulated compound (as applicable) and its residues.

(ii) Analystical test report for the product quality.

11. Seven copies of the proposed labels and leaflets (including all printed or graphic matter which will accompany the package containing the insecticide) as per the insecticides Rules, 1971.

12. Maner of packing.

13. Particulars of fee deposited.

Signature of the applicant
with seal
Verification

I,————————————————S/o ————————————————
————————————————————————————————————

do hereby solomnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given in the application and the annexure and statements/ companying it, is correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as————————————and that I am competent to make this application and verify it by virtue of————————————, a photo/attested copy of which is enclosed herewith.

Place———————— Signature ————————

Date———————— with seal————————

Note : The application form including the verification portion must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorised by him in case of Hindu undivided family, by the Karta; in case of a partnership firm, by the managing partner; in case of a company, by a person duly authorised in that behalf by the Board of Directors, and in any other case, by the person incharge of or responsible for the conduct of the business";

(ii) after Form II, the following Forms shall be inserted, namely :—

"FORM II A

(See rule 6)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

Certificate of provisional registration of insecticides

C. Certified that the insecticide————————————has been registered in the name of the person/ undertaking whose particulars are specified below provisionally for a period of two years effective from the date of issue :—

1. Name of person/undertaking :

2. Address :

3. Registration number :

4. Name of insecticide :

(Brand name of trade name and chemical name or trade name and chemical name of the insecticide, details of composition).

5. Conditions, if any :

(i)

(ii)

(iii)

New Delhi, the————————19

Signature

Seal of the Department

FORM II B

(See rule 7)

Appeal under Section 10 of the Insecticides Act, 1968

Central Government

To

The Secretary,
Ministry of Agriculture,
(Department of Agriculture and Cooperation),
New Delhi.

Appeal No.————————————of 19————————

1. Name and address of the applicant :
2. Address of the Manufacturing Unit :
3. Name of the insecticides :
4. Date of order appealed against :
5. Date of communication of the order :
6. Whether the appeal is within limitation period :
7. Particulars of the fee deposited :
8. Relief claimed in appeal :
9. Address to which notice may be sent to the applicant :

*Statement of Facts

*Grounds of Appeal

Signature (Appellant)

(Please give each ground in a separate paragraph and number it)

Signature (Appellant)

VERIFICATION

I————————————s/o————————————————————the appellant, do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Date :

Place : Signature (Appellant)

1. The appeal must be preferred in duplicate and must be accompanied by a copy of the order appealed against.

2. The form of appeal, grounds of appeal and the form of verification must be a signed in case of an individual by the individual himself or a person duly authorised by him, in case of Hindu undivided family by the Karta; in case of a partnership company, by the managing partner; in the case of a company, by a person duly authorised by the Board of Directors and in any other case, by the person incharge or responsible for the conduct of the business"

(iii) for Form III the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM III

(See rule 9)

Application for the grant of licence to Manufacture insecticides.

1. Name address and status of the applicant :

2. Address of the premises where the manufacturing activity will be done :

3. Name of the Insecticides with their registration number and date for which manufacturing licence is applied for (enclose copies of certificates of registrations duly signed by the applicant).

Name of the Insecticides	Registration No.	Date
1.		
2.		
3.		

4. Whether any registration is provisional, if so give particulars :

5. Details of full time expert staff connected with the manufacture and testing of the insecticides in the above unit :

Name	Qualification	Experience
1.		
2.		
3.		

6 Whether all the facilities required under chapter VIII of the Rules have been provided Give full details in a separate Sheet.

7. Particulars of fee deposited :

Signature of the applicant

VERIFICATION

I———————————————S/o———————————————do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given in the application and the annexures and statements accompanying it, is correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as———————————and that I am competent to make this application and verify it by virtue of———————————————— a photo/attested copy of which is enclosed herewith.

Date :

Place : Signature with seal."

(iv) In Form IV,—

(a) for item No. 3, the following item shall be substituted, namely :—

"3. Particulars of the fee deposited" :

(b) after the entries relating to "Date" and "signature", the following shall be inserted namely:—

"VERIFICATION

I———————————————S/o———————————— do hereby solemnly verify that what is stated above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

I further declare that I am making this application in my capacity as ———————————and that I am (designation)

competent to make this application and verify it, by virtue of ———————————a photo/attested copy of which is enclosed.

Date:

Place:

Signature with Seal."

(v) in Form V, in item 3. the following shall be added at the end namely:—

"Provided such sales are made from or storage is done in the factory premises".

(vi) in Form VI, items 4 and 6 shall be omitted:

(vii) in Form VIII.—

(a) item 3 shall be deleted.

(b) for condition No. 3, the following condition shall be substituted, namely:—

"3. No insecticides shall be sold or distributed except in packages which are or may be approved by the Indian Standards Institution from time to time.

3B. If the licensee wants to sell, Stock or exhibit for sale or distribute any additional insecticides during the currency of the licence he may apply to the Licensing Officer for issuance of separate licences for each insecticide on payment of the prescribed fee";

(vii) for Forms XIII, the following Forms shall be substituted namely:—

FORM XIII

(See rule 15)

Register of Sales made to the bulk consumers, insecticides wise

Sl. No.	Date	Name of the insecticides with its strength and brand name	Name of the manufacturer	Batch No.	Date of expiry	Name of the purchaser with full address	*Licence No. of Purchaser	Quantity sold Size No. of Quantity of packs the sold pack.	Remarks

*In case of bulk consumer give number and date of the order.

FORM XIV

(See rule 15)

Monthly return of sales of Insecticides made to the bulk consumers of the state of———————for the period from———to———19——

Sl. No.	Name of the insecticides with its Brand name strength and the type of formulation	Manufactured by	Batch No.	Date of Expiry	Name of the purchaser with full address	*Licence No. of purchaser	Size of pack	No. of pack sold	Quantity.

Signature

VERIFICATION

I——————————————do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based

on information derived from the records. I further declare that I am competent to and verify this statement in my capacity as———— ————(Designation)

Signature————
Name————
Seal————

*In the case of bulk consumer give number and the date of the order.

FORM XV

(See rule 15)

Stock Register of Technical Grade Insecticide———

Date	Opening balance	Quantity imported	Quantity manufactured	Total Quantity (2+3+4)	Quantity sold	Quantity utilised for formulation	Total quantity (6+7)	Closing balance

(Quantity in metric ton)

FORM XVI

(See rule 15)

Stock Register of Formulated insecticide————

Sl. No.	Opening balance of Technical grade in pesticide	Technical grade insecticide imported/purchased/ diverted	Total technical grade Col. (2+3)	Total technical grade used for formulations	Balance of technical grade insecticides (4+5)	Opening balance of formulations	Quantity formulated/ imported	Total formulated Qty (7+8)	Quantity sold	Closing balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

"Triplicate"

FORM XVII

(See rule 24)

Report of Insecticides Analyst Sl. No. ————

1. Name of the Insecticides Inspector, from whom samples have been received.
2. Serial No. and date of Insecticides Inspector's Memorandum.
3. Number of the sample.
4. Date of receipt.
5. Name of the Insecticides purporting to be contained in the sample.
6. Condition of the seals on the package : state whether:—
   (i) the sample was properly sealed and fastened

(ii) the seal was intact and unbroken:

(iii) the seal fixed on the container and the outer cover of the sample tallied with the specimen impression of the seal separately sent by the Insecticides Inspector; and

(iv) the sample was in a condition fit for analysis.

7. Date of the test or analysis.

8. Result of test or analysis with protocols of test applied.

VERIFICATION

I certify that I have analysed/caused to be analysed the afore mentioned sample, and declare the result of analysis to be as above.

Signed this————————————day of ————————19——

(Signature with Seal)
Insecticide Analyst

FORM XVIII

(See rule 30)

Order under Section 21(1)(d) of the Insecticides Act, 1968, requiring a person not to dispose of any stock in his possession.

Whereas I have reason to believe that the stock of— ———————— in your possession detailed below, is being distributed, sold or used in contravention of the provisions detailed below is being distributed, sold or used in contravention of the provision of section————————————of Insecticides Act, 1968, or ————————————of the Insecticides Rules, 1971.

I hereby require you under section 21(1)(d) of the said Act to stop the distribution, sale or use of the said stock for a period of————————————days from this date ————————————

Details of stock of Insecticides/Formulation.

Date :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Date.

Insecticide Inspector
Seal

FORM XIX

(See rule 32)

Form of receipt for the seized insecticides

Receipt for stock of insecticides seized under section 21(1)(d) of the Insecticides Act, 1968

The stock of the insecticide detailed below has this day been seized by me under the provisions of section 21(1)(d) of the Insecticides Act, 1968, from the premises of ————————————situated at ————————————

Details of the insecticide seized are:

(a)
(b)
(c)
(d)

Date.

Insecticide Inspector
(Office Stamp)

FORM XX

(See rule 33)

Intimation to Person/Licensee from whom sample is taken

To

_____

_____

_____

I have this day taken from the premises of ——————situated at ——————samples of the Insecticides specified below for the purpose of test or analysis.

Date:

Insecticide Inspector

Details of samples taken

Date:

Insecticide Inspector

FORM XXI

(See rule 34)

Memorandum to Government Analyst

From

_____

_____

_____

To

The Government Analyst

_____

The portion of sample/container described below is sent herewith for test or analysis under rule 34 of the Insecticides Rules, 1971. The portion of sample container has been marked by me with the following mark:

Details of portion of sample or container with name of insecticide which it purports to contain.

Date:

Insecticide Inspector
(Seal)

FORM XII

(See rule 37)

Register of persons engaged in connection with insecticides and their periodical medical examination for the year 19——.

SERIAL NO.————————

Name————————————————Age————

Fxther's/Husband's name————————————————Full address ————————

Sex————————— Identification mark ————————

Date of appointment ————————————Occupation : (Please specify the nature of duty)

1. Past 2. Present

PAST HISTORY

Illness	Poisoning	Allergy	Exposure to Pesticides (compound)	No. of years/ reason	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6

FAMILY HISTORY

Allergy	Psychollogical disorders	Gaemorhagic disorder
1	2	3

PERSONAL HISTORY

Smoking	Alochol	Other addiction
1	2	3

OBSERVATIONS

Medical Examination	Pre-employ-ment examina-tion	End of 1st Quarter i.e. after 3 months	After 2nd quarter after 6 months	After 3rd quarter after 9 months	End of year	Remarks
I. GENERAL EXAMINATION						
General body Limit						
Weight						

Pules
Blood pressure
Respiration
Anaemia
Dadema
Jaundice
Skin condition
Temperature
Fatigability
Sweating
Sleep
Urination

II. GASTRO INETESTINAL

Nausex
Vomiting
Appetite
Taste
Pain in Abdomen
Bawel movement
Liver
Spleen

III. CARDIO RESPIRATORY

Nasal discharge
Wheeze
Cough
Expectoration
Tightness of chest
Dyspnoea
Palpitation
Heart
Cyanosis
Tachycardia

IV. NEURO MUSCULAR

Headache
Dizziness
Irritability
Pulse
Twitchings
Tremors
Convalsion
Paranesthesia
Hallucination
Unconsciousness
Deep reflexes
Superficial reflexes
Co-ordination

V. EYE

Pupil
Lachrymation
Double Vision
Clumped vision

VI. PSYCHOLOGICAL

Temperament
Judgement
Nervousness

VII. KIDNEY

Kidney condition.

VIII. INVESTIGATION

Blood Hb%
Blood D.C
*Serum cholinesterago
Serum Bilirubin
Urine routine examination
Urine microscopic
X-rav of chest—

*Serum cholinesterage level should be measured in monthly intervals in case of organophasphurus/carbamatic group of insecticides. General remarks of the Doctor in the light of the above examination:

Advice given to . 1. the patient:
2. the Employer:

Steps taken by the Employer as per Doctor's advice:

Signature/Thumb Impression of:

1. Doctor.
2. Employes:
3. Employer/manufacture:
4. Licensing officer at the time of inspection

N.B. In organochlorine group of insecticides the blood residue estimation should be done oncece a year.

22. For Second Schedule to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:

"THE SECOND SCHEDULE"

(See rule 25)

Fees for testing or analysing the samples of insecticides.

Sl. No.	Name of insecticide	Type of formulation	Testing as per Bureau of Indian standards specification	Testing charges (Rs. in)
1	2	3	4	5
(A) Insecticides				
1.	Aldrin	Technical	1306—1974	200.00
2.	Aldrin	Dusting powder	1308—1984	195.00
3.	Aldrin	Emulsifiable Cone	1307—1982	240.00
4.	Aldicarb	Encapsulated Granules	9371—1980	320.00
5.	BHC (HCH)	Technical and Refined	560—1980	210.00
6.	BHC (HCH)	Dusting Powder	561—1978	195.00

1	2	3	4	5
7.	BHC (HCH)	Wettable powder	569—1978	220.00
8.	BHC (Gamma Isomer)	Emulsifiable Cone	632—1978	240.00
9.	Carbaryl	Technical	7539—1975	235.00
10.	Carbaryl	Dusting Powder	7122—1984	195.00
11.	Carbaryl	Wettable powder	7121—1984	230.00
12.	Carbaryl	Granules	9368—1980	270.00
13.	Carbo-furan	Encapsulated Garanules	9360—1980	220.00
14.	Chlordane	Technical	2863—1961	95.00
15.	Chlordane	Dusting Powder	2864—1973	95.00
16.	Chlordane	Emulsifiable conc	2682—1984	165.00
17.	DDT	Technical	563—1973	130.00
18.	DDT	Dusting powder	564—1984	95.00
19.	DDT	Wettable powder	565—1984	120.00
20.	DDT	Emulsifiable cone	633—1985	140.00
21.	Diazinen	Technical	1833—1980	110.00
22.	Diazinon	Wettable powder	2862—1984	120.00
23.	Diazinon	Emulsifiable Cone	2861—1980	140.00
24.	Diazinon	Granules	9362—1980	170.00
25.	Dichlorvos	Technical	4929—1978	210.00
26.	Dichlorvos	Emulsifiable Conc	5277—1978	205.00
27.	Dimotheate	Technical	3902—1975	210.00
28.	Dimotheate	Emulsifiable Conc	3903—1984	240.00
29.	Endosulfan	Technical	4344—1978	110.00
30.	Endosulfan	Emulsifiable Cone	4323—1980	140.00
31.	Endosulfan	Dusting powder	4322—1967	95.00
32.	Endosulfan	Wettable powder	4324—1967	120.00
33.	Fonitrothion	Technical	5280—1969	120.00
34.	Fonitrothion	Dusting powder	7126—1973	95.00
35.	Fonitrothion	Emulsifiable cone	5281—1979	105.00
36.	Fonitrothion	Granules	9365—1980	170.00
37.	Fenthion	Technical	7950—1976	210.00
38.	Fenthion	Emulsifiable cone	7948—1976	240.00
39.	Fenthion	Granules	9353—1980	270.00
40.	Formethion	Emulsifiable cone	8926—1976	140.00
41.	Hopt chlor	Technical	6432—1972	115.00
42.	Hopt chlor	Dusting powder	6429—1981	95.00
43.	Hept chlor	Emulsifiable cone	6439—1978	140.00
44.	Lindane	Technical	1592—1986	220.00
45.	Lindane	Granules	9370—1980	270.00
46.	Malathion	Technical	1832—1978	220.00
47.	Malathion	Dusting powder	2558—1978	230.00
48.	Malathion	Wettable powder	2569—1978	265.00
49.	Malathion	Emulsifiable cone	2567—1978	205.00
50.	Methyl Parathion	Technical	2570—1980	220.00
51.	Methyl Parathion	Dusting Powder	8960—1978	95.00
52.	Methyl Parathion	Emulsifiable Concentrate	2865—1978	240.00
53.	Methyl Parathion	Technical	9372—1980	120.00
54.	Monocrotophos	Technical	8025—1983	175.00
55.	Monocrotophos	Soluble liquid	8074—1983	185.00
56.	Nicotine Sulphate	Sulution	1055—1984	60.00
57.	Oxy dometon-Methyl	Technical	8258—1976	100.00
58.	Oxy dometon-Methyl	Emulsifiable concentrate	8259—1976	140.00
59.	Phenthoate	Technical	8293—1976	120.00

1	2	3	4	5
60.	Phenthoate	Emulsifiable concentrate	8291—1976	140.00
61.	Phorate	Technical	7976—1976	120.00
62.	Phorate	Encapsulated Granules	9359—1980	220.00
63.	Phosalone	Technical	8488—1977	210.00
64.	Phosalone	Emulsifiable concentrate	8487—1977	240.00
65.	Phosphamidon	Technical	4598—1968	100.00
66.	Phosphamidon	Soluble liquid	6177—1981	85.00
67.	Propoxur	Technical	8496—1977	120.00
68.	Pyrethrum	Emulsifiable concentrate	4808—1982	115.00
69.	Pyrethrum	Extract	1051—1988	85.00
70.	Pyrethrum	Larvicidal Oil	6014—1978	115.00
71.	Quinalphos	Technical	6072—1983	220.00
72.	Quinalphos	Dusting Powder	8029—1984	195.00
73.	Quinalphos	Emulsifiable concentrate	8028—1976	250.00
73a.	Quinalphos	Granules	9366—1980	270.00
74.	Thiomoton	Emulsifiable concentrate	3905—1966	140.00
75.	Thiomoton	Concentrate	3904—1966	120.00
76.	Temophos	Technical	8701—1978	210.00
77.	Temophos	Emulsifiable concentrate	8498—1977	240.90
78.	Trichlorfon	Technical	7945—1976	120.00
79.	Trichloron	Dusting Powder	7945—1976	95.00
80.	Trichlorfon	Granules	9364—1976	17.00
(B)	Arcaricides			
81.	Dicofol	Technical	5278—1969	100.00
82.	Dicofol	Emulsifiable concentrate	5279—1969	105.00
(C)	Fungicides			
83.	Carbendazim (NMC)	Technical	8445—1977	200.00
84.	Carbendazim	Wettable powder	8446—1977	220.00
85.	Copper Oxychloride	Technical	1486—1978	185 00
86.	Copper Oxychloride	Dusting powder	1506—1977	95.00
87.	Copper Oxychloride	Wettable powder	1507—1982	110.00
88.	Cuprousoxide (Fungicidal grade)	Technical	1682—1973	125.00
89.	Edlophenphos	Technical	8954—1978	220.00
90.	Edlophenphos	Emulsifiable concentrate	8955—1978	240.00
91.	Ethyl Mercury Chloride	Technical	2354—1983	110.00
92.	Lime Sulphur	Solution	1050—1984	135.00
93.	Mancozeh	Technical	8707—1978	100.00
94.	Mancozeh	Wettable powder	8709—1978	155.00
95.	Methoxy ethyl mercury chloride (MEMC)	deed Dressing	2358—1984	70.00
96.	Pentachlor Onitrebenzene (Quintoane)	Technical	7985—1976	210.00
97.	Pentachorlonitre-benzenet (Quintoine)	Dusting powder	7944—1976	195.00
98.	Pentachloronitte-benzeone (Quintozine)	Wettable powder	7948 —1976	220.00
99.	Penyl mercury acetate	Technical	2126—1973	95.00
100.	Sulphur	Dusting powder	6444—1979	70.00
101.	Sulphur	Wettable powder	3383—1983	130.00
102.	Thirom	Technical	4328—1982	95.00
103.	Thiram	Wettable powder	4766—1982	105.00
104.	Zineb	Technical	3998—1981	75.00
105.	Zineb	Wettable powder	3899—1981	130.00
106.	Ziram	Technical	3900—1975	75.00
107.	Ziram	Wettable powder	3901—1975	105.00

1	2	3	4	5
(H) Herbicides				
108.	Alachlor	Emulsifiable cone	9354—1980	240.00
109.	Alachlor	Granules	9361—1980	170.00
110.	Butachlor	Technical	9355- 1980	210.00
111.	Butachlor	Emulsifiable cone	9356—1980	240.00
112.	Butachlor	Granules	9962—1980	170.00
113.	Dalapen	Technical	8267—1976	180.00
114.	Dalapon	Wettable powder	8286—1976	170.00
115.	2, 4—0	Technical	4321—1978	130.00
116.	Diuron	Technical	8702—1978	110.00
117.	Dipron	Wettable powder	8703—1978	120.00
118.	Fluchlorapin	Technical	8958—1978	200.00
119.	Fluchlorapin	Emulsifiable conc	8959—1978	240.00
120.	MCPA	Technical	8494—1977	135.00
121.	Nitrofen	Technical	8956—1978	210.00
122.	Nitrofen	Emulsifiable cone	8957—1978	240.00
123.	Paroquet dichloride	Sall Quaue Solution	8397—1977	200.00
124.	Propalnil	Technical	8071—1975	200.00
125.	Propenil	Emulsifiable cone	8227—1976	205.00
126.	Triallate	Technical	9557—1980	210.00
127.	Triallate	Emulsifiable cone	9858—1980	240.00
(F) Plant Growth Regulators				
128.	Chlormoquat chloride	Technical	8961—1978	135.00
(G) Fumigants				
129.	Aluminium Phosphide	Tablet	6438—1980	60.00
130.	Ethylene dibromide	Technical	1311—1966	95.00
131.	Ethylene dichloride Carbon Tetrachloride mixture (3 : 1' V/V)	Technical	634—1965	130.00
132.	Methyl bromide	Technical	1312—1980	85.00
133.	Warfarin	Technical	5558—1970	185.00
134.	Warfarin	Bait Cone	5540—1970	160.00
135.	Warfarin (Sodium salt)	Technical	5551—1970	185.00
136.	Warfarin (Sodium salt)	Soluble liquid	7168—1973	260.00
137.	Zinc Phosphide	Technical	1251—1984	60.00

The fees for test or analysis in respect of insecticides or their various formulations other than the ones specified in this schedule shall be as follows unless otherwise specified by the Central Government by any other officer authorised in this behalf from time to time.

1. Technical Grade	Rs. 1160.00
2. Dusting Powder	Rs. 125.00
3. Wettable Powder	Rs. 160.00
4. Emulsifiable concentrate	Rs. 205.00
5. Granules	Rs. 225.00
6. Other formulations	Rs. 210.00"

Foot Note : The principal rules were published vide GSR. 1650(E), dated the 30th October, 1971 and subsequently amended vide No. GSR. 474(E), dated the 24th July, 1976, GSR. 736(E), dated the 9th December, 1977

[No. 19—44/79-PP.I]
I.S. MALHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993